

l f p d k L r l f p d k v k a d h l p h & 2013

u o E c j & 2013

f' k { k k f o H k k x

de l 0	l f p d k l a ; k	fo" k;	l f p d k L r d h f r f f k	v f r e v k n s' k
1.	02/लोक(शिक्षा)29/12	श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालिन लिपिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यालय, प.सिंहभूम का बकाया वेतन के संबंध में ।	30.11.2013	निदेशक, प्रथमिक शिक्षा झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)30/12	श्रीमती इन्दू देवी, अनुसेविका, एन.जी.+2 उच्च विद्यालय पत्थरगामा, गोड्डा का 1.3.1993 से 21.9.1995 तक का बकाया वेतन के संबंध में ।	22.11.2013	परिवादी पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय राँची में याचिका सं. 989/2011 दाखिल किया था तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुरूप विभाग कार्रवाई कर रहा है । अतः अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं । इसी आशय के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)37/11	श्री आनन्द मोहन कर्ण से.नि. सहायक शिक्षक को संस्पेस लेखा अन्तर्गत 1.3.79 से 31.12.81 तक की बकाया महंगाई भत्ता राशि के भुगतान के संबंध में ।	12.11.2013	जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो के प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया है । यदि परिवादी को फिर भी शिकायत है तो विभाग के पास पुनः अपना शिकायत दर्ज करें । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
4.	01/लोक(शिक्षा)12/11	वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गुमला द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच कराने के लिए शंभूनाथ सिंह गुमला का शिकायत ।	22.11.2013	उपायुक्त गुमला के विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में किचन सेड का निर्माण करा कर उपयेगिता प्रमाण पत्र लिय गया है तथा बकाया किचन सेड के लिए उपयेगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
5.	02/लोक(शिक्षा)02/08	श्री हेमलाल महतो, सेवानिवृत्त आदेशपाल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह का बकाया राशि , भविष्य निधि, अर्जित अवकाश, ग्रेच्युटि,	16.11.2013	जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद

		पेंशनादि की राशि का भुगतान किये जाने तथा 10000/रु. अवैद्य राशि मांगे जाने के संबंध में ।		के निराकरण के उपरान्त माननीय लोकायुक्त इसे बंद कर दिया गया ।
--	--	--	--	--

ou foHkkx

दॆ लॆ	लॆपदक लॆक	fo"क;	लॆपदकलॆ दह फर्रक	वॆरे वकनॆक
1.	02/लोक(वन)12/2012	वन क्षेत्र पदाधिकरी, सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, चौपारण तथा प्रमंडल पदाधिकारी सामाजिक वनिकी प्रमंडल कोडरमा के द्वारा गत एक वर्ष से अधिक समय से कार्योपरान्त मजदूरी भुगतान नहीं करने के संबंध में मोहित कुमार सिंह एवं अन्य, चतरा, का परिवाद	18.11.2013	मनरेगा आयुक्त झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी परिवादीयों के परिवाद का निराकरण उनके बकाया मजदूरी का भुगतान कर कर दिया गया। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(वन)08/12	भू-माफिया एवं DFO व अन्य वन पदाधिकारियों के मिली भगत से सरकारी राजस्व की हानि के संबंध में श्री विक्रम दास, देवीपुर, देवघर का परिवाद ।	16.11.2013	प्रधान मुख्य वन संरक्षक राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

iॆyl foHkkx

दॆ लॆ	लॆपदक लॆक	fo"क;	लॆपदकलॆ दह फर्रक	वॆरे वकनॆक
1.	02/लोक(पुलिस)22/12	परिवादी श्री रवि लकड़ा को बिल्डर द्वारा वेतन भुगतान नहीं करने के शिकायत पर राँची SSP द्वारा कोई कार्रवाई करने से इन्कार करने के संबंध में परिवाद ।	22.11.2013	पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनुसुचित जाति एवे जनजाति थाना काण्ड सं. 14/2012 दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है परन्तु ग्वाह एवं परिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण अनुसंधान लम्बित है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)23/12	सूद पर पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने एवं जबरन पैतृक जमीन का रजिस्ट्री करवाने के संबंध में श्री अरूण कुमार, धनबाद का	22.11.2013	पुलिस अधीक्षक धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद पैतृक परिसंपति संबंधित है जिसका निबटारा सिविल कोर्ट के द्वारा ही संभव है । उक्त के

		परिवाद ।		आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(पुलिस)04/13	विधान सभा चुनाव 2009 में उपयोग किये गये वाहन का पारिश्रमिक भुगतान नहीं करने के संबंध में तरुण कुमार झा, रामगढ़ का परिवाद ।	22.11.2013	पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के वाहन के पारिश्रमिक रू0 52,200/- का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निराकरण के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।

x'g foHkkx

दॆ । ०	। f'pdk । a'; k	fo"k;	। f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	01/लोक(गृह)01/12	धनबाद जिला अन्तर्गत समादेष्टा शिवशंकर प्रसाद सिंह द्वारा होमगार्ड नियुक्ति एवं डियुटि आवंटन में रिश्वत लेने के संबंध में श्री मोहन महतो, गिरिडीह का परिवाद ।	25.11.2013	CID से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

Hkfo"; fuf/k foHkkx

दॆ । ०	। f'pdk । a'; k	fo"k;	। f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(भ.नि.)01/12	सेवानिवृत्त हवलदार ऐनुल हसन खाँ का लेखा सं. DP/056787 में संचित राशि के भुगतान से संबंधित शिकायत ।	22.11.2013	पुलिस अधीक्षक दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के भविष्य निधि में संचित राशि 24,295/- रू0 का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(भ.नि.)01/13	श्री लालबाबू सेवानिवृत्त लिपिक राँची को 01.01.1996 से 5500-9000 में संशोधित एवं बकाया राशि के भुगतान के संबंध में शिकायत ।	22.11.2013	संबंधित संचिका माननीय लोकायुक्त द्वारा पूर्व में ही संचिकास्त कर दिया गया है। अतः पुनः उसी वाद पर संचिका पर विचार करना झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद के खारिज कर दिया गया ।

jktLo foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(राजस्व)04/12	विधायक बंधु तिर्की के राजनितिक प्रभाव के कारण जमीन का सीमांकन नहीं होने के संबंध में पविादी ए.मिंज एवं अन्य का परिवाद ।	12.11.2013	परिवाद एक भूखण्ड पर स्वामित्व का एक जटिल केस है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

Je fu; kstu , oa i f' k{k.k foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(श्र.नि.)05/11	सामाजिक सुरक्षा कार्यालय बोकारो सं सेवानिवृति के उपरान्त देय पावनाओं और पेशनादि का भुगतान नहीं मिलने के संबंध में श्री डेगनरायण महतो, गोमिया का शिकायत ।	22.11.2013	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

[kk | vki frl foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(खा.आ.)10/2012	जनवितरण प्रणाली बागदाहा जिला धनबाद में अनियमितता पाये जाने के बावजूद अनुभाजन पदाधिकारी एवं सहायक अनुभाजन पदाधिकारी द्वार अनुज्ञाप्ति रद्द नहीं करने के संबंध में श्री महेश्वर महतो बागदाहा धनबाद का परिवाद ।	18.11.2013	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित जनवितरण प्रणाली के दुकानदार का अनुज्ञाप्ति रद्द कर दिया गया । अतः परिवादी के परिवाद का निराकरण के पश्चात परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(खा.आ.)01/13	निलंबित जनवितरण प्रणाली के दुकानदार को पुनः खाद्यान आवंटन करने तथा कालाबजारी में संलिप्ता के संबंध में श्री मनोज साह व अन्य लोहरदगा का परिवाद ।	16.11.2013	उपायुक्त लोहरदगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार दुकानदार के कारण पृष्ठा के उत्तर तथा मुखिया एवं वार्ड सदस्य के अनुसंशा के उपरान्त प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा द्वारा पुनः उनके लाईसेंस को पुनर्जिवित किया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा

				परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(खा.आ.)04/13	श्री नकुल प्रसाद यादव राजडीह, देवघर के बी.पी. एल.कार्डधारी होने के बावजूद भी चावल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद ।	16.11.2013	एस.डी.ओ. देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनियमितता बरतने के कारण जनवितरण दुकानदार के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करा दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

mRi kn foHkkx

दॆ लॆ	लॆपदक लॆक	fo"क;	लॆपदकLr dh frffk	vॆre vkns'k
1.	02/लोक(उत्पाद)01/12	भागवत मिश्र सेवा निवृत्त उत्पाद सिपाही धारक पी. पी.ओ. सं. 194856 के पक्ष में द्वितीय पी.पी.ओ. बुक निर्गत करने के संबंध में ।	22.11.2013	परिवादी के परिवाद के निराकरण के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

ty l d k/ku foHkkx

दॆ लॆ	लॆपदक लॆक	fo"क;	लॆपदकLr dh frffk	vॆre vkns'k
1.	02/लोक(ज.सं.) 09/18	श्री जयनंदन सिंह सेवा निवृत्त कनीय अभियंता का बकाया राशि का भुगतान के संबंध में परिवाद ।	25.11.2013	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(सिंचाई)04/06	चतरा जिला के ग्राम कुम्हारी प्रखण्ड ईटखोरी में सिंचाई हेतु निर्मित तालाब में बड़े पैमाने पर अनियमितता के संबंध में श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, ईटखोरी चतरा का परिवाद ।	22.11.2013	उपायुक्त चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

is ty , oa LoPNrk foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(पे.जल)03/12	अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अर्बन डिविजन राँची के द्वारा नियम विरुद्ध निविदा आवंटन करने के संबंध में श्री शत्रुघन सिंह, राँची का परिवाद ।	22.11.2013	मुख्य अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

uxj fodkl foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(न.वि.) 05/12	श्री उमाशंकर प्रसाद सेवानिवृत प्रधान सहायक, हजारीबाग माईन्स बोर्ड का सेवा निवृत के पश्चात पावनाओं का भुगतान के संबंध में परिवाद ।	22.11.2013	अध्यक्ष, माईन्स बोर्ड हजारीबाग सह उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी परिवाद के निराकरण के लिए पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3440/2011 दाखिल किया हुआ है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(न.वि.)01/11	श्री राजेन्द्र नारायण त्रिवेदी व अन्य नागरिक द्वारा सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत ।	22.11.2013	पथ निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई किया जा चुका है । अतः अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

i f j o g u f o H k k x

de l 0	l f p d k l a ; k	fo" k;	l f p d k L r d h f r f f k	v f r e v k n s k
1.	02 / लोक(परिवहन)02 / 2012	समान मापदण्ड वाले वाहनों का नियमानुसार समान कर निर्धारण नहीं होने के संबंध में श्री सुरेश सिंह रातु रोड का परिवाद ।	25.11.2013	परिवादी द्वारा परिवाद वापसी के अनुरोध को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए परिवाद को बंद कर दिया गया ।

x k f e . k f o d k l f o H k k x

de l 0	l f p d k l a ; k	fo" k;	l f p d k L r d h f r f f k	v f r e v k n s k
1.	02 / लोक(ग्रा.वि.)29 / 12	सुधीर कुमार रंजन अनुमंडल पदाधिकारी चास द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा सेवान्त लाभ व अन्य को भुगतान करने में विलम्ब किये जाने के संबंध में श्री पेट्रिक सदा बोकारो का परिवाद ।	13.11.2013	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन तथा कारण पृष्ठा के जवाब के अनुसार परिवादी को उनके सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया तथा पेंशन के कागजात महालेखाकार को भेजा जा चुका है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.)05 / 13	धनबाद जिला अन्तर्गत कुशमाटांड पंचायत में पंचायत उपष्कर कय में अनियमितता के संबंध में श्री दुलाल चन्द्र धीबर धनबाद का परिवाद ।	18.11.2013	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार वाद का विस्तृत जांच कराने पर भी परिवादी के आरोप सिद्ध नहीं हो सका । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आलोक में वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	01 / लोक(ग्रा.वि.)06 / 12	जिला ग्रामिण विकास अभिकरण, देवघर में 13 वर्षों से बिसकोमान बिहार पटना के भ्रष्ट तथा कथित लेखा पदाधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में श्री बिनोद कुमार यादव देवघर का परिवाद ।	13.11.2013	श्री शैलेन्द्र कुमार कथित लेखा पदाधिकारी का तबादला बिसकोमान बिहार पटना कर दिया गया । जहां तक वेतन निर्धारण का प्रश्न है यह सरकार का नितिगत फैसला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

de l 0	l f'pdk l ; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(स्वा0)11/2011	डा0 सतीश कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के सेवान्त लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब के संबंध में शिकायत ।	12.11.2013	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को सभी देये सेवान्त लाभ का भुगतान विभाग से प्राप्त हो जाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा)18/11	सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग राँची झारखण्ड के कार्यालय के कार्यकलाप की सूचना एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु डॉ0 कमलेश तिवारी, गाजियाबाद, का आवेदन ।	22.11.2013	स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । दिनांक 25.07.1969 से 19.12.1973 के अवधि पेंशन नियमावली के नियम 58 के अनुसार पेंशन प्रदायी नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(स्वा0)06/06	पूर्व सिविल सर्जन साहेबगंज के डॉ0 श्रीनाथ मिश्रा द्वारा घोटाला कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में श्री शशांक खेर गुहा, सचिव कांग्रेस कमिटी, कांग्रेस भवन राँची का परिवाद ।	22.11.2013	उप सचिव स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित लोक सेवक श्रीनाथ मिश्रा, पूर्व सिविल सर्जन साहेबगंज के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(स्वा0)03/11	पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद के तृतीय वर्ग के कर्मी श्री राय अजीत प्रसाद पी. टी.आई. द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 मे लाखों रुपये की राशि का गबन करने के संबंध में श्री मुन्ना मिश्रा धनबाद का परिवाद ।	22.11.2013	प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद श्री प्रसाद के नियुक्ति से संबंधित है न कि राशि के गबन से । श्री प्रसाद की नियुक्ति 27 वर्ष पूर्व में हुई है अतः इतने समय के बाद इस पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	01/लोक(स्वा0)01/12	ग्राम स्वास्थ्य समिति रामपुर, प्रखण्ड मारगोमुंडा,	22.11.2013	उपायुक्त देघवर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार

		जिला देवघर के द्वारा अवैद्य तरीके से रकम निकासी के संबंध में सलमा खातुन तथा कलिमुन बिबी देवघर का परिवाद ।		परिवाद पारिवारिक अन्तर्कलह के कारणे किया गया । अतः परिवाद पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	02/लोक(स्वा0)02/12	किशोरीदास सेवानिवृत्त प्रयोगशाला प्रावैधिकी प्रा0 स्वा0 केन्द्र रानेश्वर दुमका का सेवान्त लाभ भुगतान के संबंध में परिवाद ।	16.11.2013	सिविल सर्जन दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fo | r foHkkx

de l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn'sk
1.	02/लोक(विद्युत)03/2012	नया विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं करने के संबंध में चिन्ता देवी बरही हजारीबाग का परिवाद ।	18.11.2013	कार्यपालक अभियंता (विद्युत), कोडरमा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को नया विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है । उक्त रिपोर्ट के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विद्युत)05/11	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के खराब कार्य शैली के कारण उपभोगताओं को हो रही परेशानी के संबंध में श्री रंजित कुमार राय शुकला कॉलोनी राँची का शिकायत ।	22.11.2013	सचिव झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोगताओं को समुचित तथा अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु अनेक कदम उठा रही है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(विद्युत)02/12	पंचम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारण कर बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्री नागेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त लेखा सहायक राँची का परिवाद ।	22.11.2013	सचिव झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी प्रकार के वैद्य देय पावनाओं का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/ लोक(विविध)24/12	श्री धन्नजय भगत लिपिक, प्रखण्ड सेनहा जिला लोहरदगा अन्तर्गत एक ही जगह पर आठ वर्षों से कार्यरत रहने के संबंध में श्री मो0 शकील अखतर, जिला महासचिव राजद, पावर गंज लोहरदगा का परिवाद ।	22.11.2013	उपायुक्त लोहरदगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

f'kdk; r uoEcj & 2013

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	शिकायत सं. 503/13	गौतम साँ-मिल प्रोपराईटर श्री मातादीन चिरानियाँ राजमहल को साँ-मिल का लाईसेंस आनन-फानन में दिये जाने के संबंध में श्री जनार्दन प्रसाद साहा, राजमहल साहेबगंज का शिकायत ।	18.11.2013	शिकायत कालबाधित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इस पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायक सं. 511/13	सहायक अभियंता , श्री उमेश सिंह द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में श्रीमती नाजिमा रजा पर्षद वार्ड न. 16 राँची नगर निगम, राँची का शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत एक सामान्य प्रकृति का है तथा परिवादीनी को समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 708/12	गिरिडीह के परिवहन दरोगा श्री पंकज कुमार झा पर अवैद्य वसूली करने का आरोप के संबंध में श्री संजय महतो एवं राजा राम महतो गिरिडीह का शिकायत ।	04.11.2013	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 488/13	मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिजनों द्वारा CNT Act का उल्लंघन कर जमीन खरिदने के संबंध में राकेश कुमार राही केन्द्रीय सचिव	04.11.2013	अन्य परिवादी श्री लम्बोदर महतो द्वारा पूर्व में इसी वाद पर परिवाद सं. 01/लोक(राजस्व)01/2012 दर्ज किया गया था जो माननीय लोकायुक्त द्वारा

		झारखण्ड विकास मोर्चा, हिरापुर धनबाद का शिकायत ।		इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका स. 2514/2001 इसी वाद पर लम्बित था। वर्तमान परिवाद भी उसी वाद से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को खारिज करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 506/13	भूतपूर्व सैनिक के जमीन पर भूमाफिया द्वारा निर्माण कार्य करने के संबंध में श्री हरेन्द्र मिश्रा, भूतपूर्व सैनिक धनबाद का शिकायत ।	18.11.2013	परिवाद माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश की अहवेलना से संबंधित है। परिवादी को इसके लिए अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उन्हे माननीय न्यायलय के समक्ष जाना चाहिए । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 517/13	नाजायज तरीके से जमीन हस्तान्तरण के संबंध में श्री दामोदर साहू रातु राँची का शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि पविाद दो लोगों का निजी मामला है जो जमीन पर कब्जा को लेकर है तथा इस संबंध में स्वत्व वाद सं. 285/2013 अवर न्यायधीश, राँची के न्यायालय में लंबित है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत पत्र को खारिज करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं.512/13	रमजान अंसारी पिता हसमत अंसारी, मिहिजाम, जामताड़ा द्वारा ग्रामीण डाक सेवक पद पर योगदान देने के क्रम में जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में श्री पशुपति मंडल, शिलपहाड़, दुमका का शिकायत ।	11.11.2013	डाक विभाग केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
8.	शिकायत सं. 445/13	पासपोर्ट हेतु पुलिस द्वारा की जाने वाली सत्यापन प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री रवि सिंह का ई-मेल से प्राप्त शिकायत पत्र ।	16.11.2013	शिकायत सामान्य प्रकृति का है तथा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं.426/13	श्रीमती सुलेखा देवी, मुखिया, वैजुकुरा, सारवाँ,	16.11.2013	पुलिस द्वारा विभिन्न धराओं के तहत सन्हा दर्ज कर

		देवघर के गैर जमानती धराओं की अभियुक्त होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री मोहन कुमार देवघर का शिकायत ।		अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है । इस प्रकार इसमें अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा ,खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 497 / 13	गैरमजरूआ जमीन पर डीजल,पेट्रोल पंप लगाने के संबंध में श्री परना उराँव, पतरातु, रामगढ़ का शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत कर्ता को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
11.	शिकायत सं. 396 / 13	प्रतिवादी द्वारा गया शहर के विभिन्न स्थानों पर आय से अधिक संपत्ति का अर्जन के संबंध में मो० मुस्ताक अली एवं श्री राजीव रंजन सिंह, जी न्यूज मुंबई का शिकायत ।	22.11.2013	शिकायत सामान्य एवं भ्रामक तथा बिना किसी साक्ष्य के है । अतः इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 531 / 13	पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी पाने में पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं करने के संबंध में श्री प्रोबीर चटर्जी, चक्रधरपुर का शिकायत ।	22.11.2013	शिकायत संपत्ति पर अधिकार से संबंधित है जो सक्षम न्यायालय में प्रक्रियाधीन है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 548 / 13	मेसो परियोजना कार्यालय, चाईबासा तथा जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में श्री सुरेश कुमार राम, लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	21.11.2013	शिकायतकर्ता स्वयं एक लोक सेवक है जो दुसरे लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत किया है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 451 / 13	कुप निर्माण की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्रीमती नुनान्ती देवी, गुमला का शिकायत ।	18.11.2013	शिकायत मनरेगा से संबंधित है। शिकायत को पश्चिमी सिंहभूम के मनरेगा लोकपाल को प्रेषित करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 446 / 13	श्री आनंद कुमार पसारी, टैक्सेशन अधिवक्ता से प्राप्त शिकायत ।	16.11.2013	परिवादी पर सन्हा दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
16.	शिकायत सं. 545 / 12	माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग	22.11.2013	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी

		झारखण्ड राँची पर इंटर महाविद्यालयों से भयादोहन का आरोप के संबंध में राजा रामसिंह राँची का शिकायत ।		शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 139 / 13	कार्तिक उराँव इंटर महाविद्यालय, रातु राँची के संचालकों पर अनियमितता का आरोप के संबंध में गोकुल साहू रातु राँची का शिकायत ।	4.11.2013	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 106 / 13	विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए जानकी कुमारी सहायक शिक्षिका, राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय चैनपुर पलामू की परिवेदना ।	12.11.2013	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 416 / 13	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्त कर्मियों को योगदान कराने के संबंध में मो० नसीम, लातेहार का शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अहवेलना से संबंधित है अतः परिवादी को माननीय न्यायालय में अहवेलनावाद दाखिल करना चाहिए । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं.487 / 13	वेतन विसंगति दूर कर वेतन पुननिर्धारण करने के संबंध में श्री जीवलाल महतो, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक गिरिडीह का शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत कालबाधित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 411 / 13	झारखण्ड शिक्षा परियोजना कार्यालय चतरा में विभिन्न पदों पर सफल अभ्यर्थियों का चयन पश्चात योगदान नहीं कराए जाने के संबंध श्री नीरज कुमार दीया मुहल्ला चतरा का शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं. 538 / 13	डाकघर अधीक्षक एवं उपडाकघर अधीक्षक मिर्जा गंज गिरिडीह के धांधली के संबंध में श्री नारायण प्रसाद का शिकायत ।	25.11.2013	डाकघर केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन कार्यालय है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते । अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं. 533 / 13	व्यवहार न्यायालय धनबाद के न्यायालय परिसर में शौचालय, पेयजल, पार्किंग स्थल एवं शेड	16.11.2013	इसी वाद से संबंधित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में परिवादी द्वारा जनहित याचिका दायर

		का निर्माण तथा उसके सफाई की व्यवस्था कराने के संबंध में श्री शिवपुजन हाड़ी का शिकायत ।		किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
24.	शिकायत सं. 523 / 13	DDC, ADC, एवं SDM देवघर द्वारा अनाधिकृत रूप से पीली बत्ती का उपयोग करने करने के संबंध में श्री गोपाल दास देवघर कप शिकायत ।	25.11.2013	शिकायत किसी अनियमितता, कुप्रशासन, तथा पद का दुरुपयोग से संबंधित नहीं है । अतः वाद पोषणीय नहीं है । माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
25.	शिकायत सं. 413 / 2013	दोस्त मोहम्मद अंसारी सेवानिवृत्त शिक्षक, रेहला पलामू की पत्नि अजमेरून बिबी का नाम भरण पोषण हेतु पेंशन बुक में संलग्न करने के संबंध में शिकायत ।	16.11.2013	शिकायत पारिवारिक न्यायालय के विविध वाद सं. 46 / 05, EX01/10 में पारित आदेश के अनुपालन नहीं होन के संबंध में है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
26.	शिकायत सं. 535 / 13	सरकारी जमीन को हड़पने के संबंध में बैनी तांती जसीडिह देवघर का शिकायत ।	25.11.2013	शिकायत SDO Court देवघर में लंबित है तथा शिकायत किसी लोकसेवक के विरुद्ध नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।
27.	शिकायत सं. 420 / 13	बिजली चोरी के झूठे मामले में फंसाकर विद्युत विभाग द्वारा जुर्माना लगाने के संबंध में मो0 फारूख अंसारी मारगोमुंडा, देवघर का शिकायत ।	16.11.2013	कनीय अभियंता विद्युत प्रमंडल मधुपुर द्वारा शिकायत कर्ता के विरुद्ध FIR दाखिल कराया गया है तथा पुलिस अनुसंधान कर रही है । अतः वाद को माननीय लोकयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
28.	शिकायत सं. 395 / 13	भूमि विवाद के निष्पादन के संबंध में श्रीमती निर्मला कांति देव कोडरमा का शिकायत ।	22.11.2013	शिकायत SDO Court कोडरमा में लंबित है तथा FIR दाखिल कराया गया है तथा पुलिस अनुसंधान कर रही है । अतः वाद को माननीय लोकयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
29.	शिकायत सं. 465 / 13	एक ही व्यक्ति द्वारा सिमडेगा व धनबाद जिला बल में बहाल होने के संबंध में श्री सुरेन्द्र मिश्रा छपरा का शिकायत ।	25.11.2013	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
30.	शिकायत सं. 484 / 13	सरकारी आवास जबर्दस्ती खाली कराने व अमानवीय यातना देने के संबंध में श्रीमती रेखा	22.11.2013	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उन्हें उसका लाभ प्राप्त करना चाहिए । उक्त के

		कुमारी, राँची का शिकायत ।		आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
31.	शिकायत सं. 519/13	सोनारायठाढ़ी थाना में दर्ज केस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री रामदेव मंडल, सारठ, देवघर का परिवाद ।	25.11.2013	पुलिस द्वारा सन्हा दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है । अतः इस पर अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शिकायत माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
32.	शिकायत सं. 442/13	श्री केदार नाथ सिंह सेवानिवृत्त वनरक्षी को गलत तरिके से देय ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. लाभ के संबंध में शिकायत ।	22.11.2013	शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।